न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

प्रकरण कमांक 1563/III/2014 पुनरावलोकन

परवतिया (मृतक) पुत्री स्व.नरबदिया काछी

वारिसान

1– हीरावाई पुत्री स्व.परवतिया काछी

2– रज्जू पुत्र स्व.परवतिया काछी

दोनों निवासी नरसिंह पुरवा, छतरपुर हाल

निवासी पठाखुर्द तहसील व जिला छतरपुर

———आवेदकगण

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन ——अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)

(अनावेदक के पैनल लायर श्री डी0के0शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 15–06–2015 को पारित)

राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 4419–तीन/2013 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12–3–2014 पर से यह पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप यह है कि महिला परवतिया (मृतक) पुत्री स्व.नरबदिया काछी ने तहसीलदार छतरपुर के समक्ष म0प्र0भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 सहपठित 116 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की मौजा वगौता स्थित भूमि सर्वे कमांक 1840/3 रकबा 1.21 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) उसके काका

(पिता के भाई) के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर थी जो वर्ष 1961 तक शासकीय अभिलेख में अंकित चली आई। वर्ष 1961 में उसके काका रिखया पुत्र लच्छी काछी का बेओलाद देहान्त हो गया, मृतक रिखया पुत्र लच्छी काछी की वह एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी है, किन्तु हलका पटवारी ने वादग्रस्त भूमि पर उसका नामान्तरण न करके नवीन खसरा निर्माण करते समय खसरे के भूमिस्वामी स्वत्व का कालम रिक्त छोड़ दिया। इस प्रकार यह भूमि वर्ष 1961 से 1978–79 तक खसरे में रिक्त अंकित रही इसके वाद के खसरों में पटवारी ने भूमि शासन के नाम अंकित कर दी। जब परवतिया पुत्री स्व.नरबदिया काछी को ग्रामीणों से इस बात का पता चला तो उन्होंने तहसीलदार छतरपुर के समक्ष खसरा सुधार की मांग रखी। तहसीलदार छतरपुर ने आदेश दिनांक 24–7–12 से खसरा सॅशोधन से एंव नामान्तरण से इंकार करते हुये आवेदन निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 12/12–13 अ 6 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.9.13 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, सागर सभाग, सागर के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 27/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.10.13 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी करने पर प्रकरण कमांक 4419–तीन/2013 में पारित आदेश दिनांक 12–3–2014 से निगरानी निरस्त करने में भूल हुई, जिसके पुनरावलोकन हेतु यह आवेदन प्रस्तुत हुआ है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि न्यायालयीन आदेश दिनांक 12–3–14 पारित करते समय यह तथ्य दृष्टिओझल हुआ है कि महिला परवतिया पुत्री स्व. नरबदिया काछी कतई पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिये उसे खसरा दुरूस्त कराने की जानकारी नहीं रही, गॉवों में महिलायें पर्दानसीन रहती है जिनका राज़–काज जाने से कोई संबंध नहीं रहता है। महिला परवतिया वादग्रस्त भूमि पर उनके काका के मरने के वाद मौके पर खेती करती रही है। जब नये पटवारी ने आकर शासन की भूमि पर कब्जे की बात बताई तब ग्रामवासियों ने चर्चा के दौरान बताया कि खसरा सॅशोधन की दरखास्त लगा दें तहसीलदार खसरा दुरूस्त कर देंगे। पटवारी से हुई लिपिकीय भूल को सुधारने के लिये संहिता की धारा 115 एंव 116 है। उन्होनें बताया कि खसरा अद्यतन रखने का दायित्व सरकारी कर्मचारियों का

है कृषकों का नहीं और जब महिला परवतिया को खसरे की भूल का वर्ष 2011 में पता चला, उसने जानकारी होते ही नियत समयावधि में आवेदन दिया, किन्तु आदेश दिनांक 12—3—14 पारित करते समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार करने की प्रार्थना की।

शासन के पैनल लायर ने बताया कि वर्ष 1961 में हुये लेख अनुसार खसरा दुरूस्ती का मामला है जो टाइमवार्ड है तहसीलदार ने एंव सभी न्यायालयों ने उचित निर्णय लिया है जिसके कारण नीचे के न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किये जाने की प्रार्थना की।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 4419—तीन/2013 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12—3—2014 के अवलोकन करने पर यह तथ्य निर्विवाद है कि मौजा वगौता स्थित भूमि सर्वे कमांक 1840/3 रकबा 1.21 एकड़ मृतक परवतिया पुत्री स्व.नरबदिया काछी के काका (पिता के भाई) रिखया काछी के नाम वर्ष 1961 तक शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित रही है जिसकी मृत्यु 1961 में होना बताई गई है। इसके वाद के खसरे में भूमिस्वामी का कालम वर्ष 1977—78 तक रिक्त रहा है अर्थात भूमि किसी भी भूमिस्वामी के नाम अंकित नहीं है। वर्ष 1977—78 के वाद के खसरों में वादग्रस्त भूमि शासन के नाम कदीम भूमि के रूप में अंकित करने का उल्लेख है। आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि हलका पटवारी को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की किसी भी धारा में खसरे में नवीन प्रविष्टि करने अथवा पूर्व प्रविष्टि में काटछॉट करने के अधिकार नहीं है। यह सही है कि म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की किसी भी धारा में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के पटवारी खसरे में नवीन प्रविष्टि करने अथवा पूर्व प्रविष्टि में संशोधन करने हेतु सक्षम नहीं है, तब हलका पटवारी व्दारा मृतक रिखया काछी के नाम की भूमिस्वामी स्वत्व पर खसरे में अंकित भूमि का नवीन खसरा बनाते समय नाम विलोपित कर देना एंव भूमिस्वामी का कालम रिक्त रखना लिपिकीय त्रृटि की श्रेणी में है जिसे जानकारी होने पर कभी भी सुधारा जा सकता है और रिखया काछी के सगे भाई की लड़की होने के कारण उसके नाम की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर मृतक महिला परवतिया विधिक उत्तराधिकारिणी होने से भूमि पाने का हक प्राप्त है

और परवतिया के मरने के उपरांत आवेदकगण वादग्रस्त भूमि पाने के हकदार हैं परन्तु तहसीलदार छतरपुर ने उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुये आवेदिका का आवेदन निरस्त करने में भूल की है तथा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग ने भी इन तथ्यों पर गौर नहीं किया है एंव न्यायालयीन प्रकरण कमांक 4419—तीन/2013 निगरानी में आदेश दिनांक 12—3—2014 पारित करते समय यह तथ्य दृष्टिओझल होने की भूल हुई है जिसे सुधारे में जाने में किसी प्रकार की अड़चन नजर नहीं आती है।

5/ विचार योग्य बिन्दु है कि किसी भूमिस्वामी की भूमि को वर्ष 1961 के वाद 1977—78 तक खसरे के भूमिस्वामी का कालम रिक्त बनाये रखना , उसके वाद के खसरों में भूमि शासन के नाम अंकित कर देना न्याय की दृष्टि में सही माना जावेगा ? म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 — खसरा अद्यतन रखने एंव समयानुसार सॅशोधन का दायित्व शासन का है और यह कार्य तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी एंव उनके अधीन पदस्थ अमला कियान्वित करता है। वादग्रस्त भूमि का खसरा तत्समय पदस्थ रहे राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों ने अद्यतन नहीं किया। मृतक रिखया बेओलाद मरा है उसकी विधिक वारिस ज्येष्ठ भाई की पुत्री मृतक महिला परवतिया थी, जो वर्ष 1961 के तत्समय के सामाजिक माहौल में महिला होने से एंव पर्दानसीन होने के तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। मृतक महिला परवतिया अनपढ़ एंव अशिक्षित महिला रही है इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये आभार्षित है कि वर्ष 1961 में तहसील स्तर पर पदस्थ रहे राजस्व अधिकारियों एंव उनके अधीन पदस्थ अमले ने अपने दायित्वों का सही सही निर्वहन नहीं किया एंव मृतक भूमिस्वामी के उत्तराधिकारियों को सूचना नहीं दी तथा मृतक भूमिस्वामी के उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना भूमिस्वामी का कालम वर्ष 1961 से 1977—78 तक रिक्त बनाये रखा एंव इसके वाद के खसरों में भूमि शासन के नाम अंकित करने की त्रृटि की गई है और इन तथ्यों पर तहसीलदार छतरपुर ने ध्यान नहीं दिया है तथा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग ने भी इन तथ्यों पर गौर नहीं करने की भूल की है स्पष्ट है कि मृतक भूमिस्वामी रिखया काछी के वाद उसकी भतीजी महिला परवतिया काछी उत्तराधिकारिणी होने से वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण कराने एंव खसरे में स्वयं का नाम

अंकित कराने की पात्र रही है। वर्तमान में महिला परवतिया मृतक होने से उसके स्थान पर आवेदकगण वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण कराने एंव खसरे में नाम अंकित कराने के पात्र हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 27/2013—14 अ 6 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.10.13 तथा अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 12/12—13 अ—6 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.9.13 तथा तहसीलदार छतरपुर प्रकरण कमांक 15 अ 6 अ/11—12 में पारित आदेश दिनांक 24—7—12 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा न्यायालयीन प्रकरण कमांक 4419—तीन/2013 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12—3—2014 अमान्य करते हुये पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा वगौता स्थित भूमि सर्वे कमांक 1840/3 रकबा 1.21 एकड़ की उत्तराधिकारिणी महिला परवतिया की मृत्यु होने से उसके विधिक वारिसान आवेदक हीरावाई पुत्री परवतिया एंव रज्जू काछी पुत्र परवतिया का समान भाग पर नाम अंकित किया जाय।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर